



संख्या : -निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/41अनु'ए'/ए-6

दिनांक: 13 मई, 2011

कार्यालय ज्ञापन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सरकारी सेवकों को अनुमन्य यात्रा-भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण विषयक उत्तराखण्ड शासन के वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7 द्वारा निर्गत संलग्न शासनादेश सं.78/XXVII(7)/2009 दि.01मार्च,2009 सपठित सं.100/XXVII(7)/2009,दि.31मार्च,2009 को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रवृत्त किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे तथा यात्रा भत्ता की दर संशोधन विषयक कारपोरेशन में पूर्वप्रवृत्त आदेश सं.570-निदे0(मा0सं0)/41अनु'ए'/ए-6,दि.26फरवरी,2003 एवं अन्य अनुवर्ती आदेश इस आदेश के निर्गमन के दिनांक से संशोधित समझे जाएंगे।

यह आदेश उन सभी यात्राओं तथा उनसे सम्बन्धित अवस्थानों [Halts]पर लागू होंगे जो इस आदेश के दिनांक या इसके पश्चात प्रारम्भ होंगी परन्तु जिन विषयों में इस आदेश से पूर्व प्रभावी दरों/आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका हो, उन्हें पुनरोद्घाटित [Reopen] नहीं किया जायेगा। शेष अन्य विषय, जो इन आदेशों से अविरत नहीं हुए हैं, वे वित्त संहिता खण्ड-3 में निहित प्राविधानों/पूर्वादेशों के अनुरूप यथापूर्व निस्तारित किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 2844 -निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/41अनु'ए'/ए-6,तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्तलिखित शासनादेशों की छायाप्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव(ऊर्जा),उत्तराखण्ड शासन व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,उ0पा0का0लि0,सचिवालय,सुभाष मार्ग,देहरादून
- 2- समस्त निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 3- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 4- कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबन्धक(विधिक) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 5- उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0/वितरण/आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 6- सूचना प्रयोगिकी विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 7- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 8- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 9- कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल ।

संलग्नक : यथोक्त ।

[संरद कृष्ण]
निदेशक(मा0सं0)

उत्तराखण्ड शासन
 वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
 संख्या- 78 /XXVII (7)/2009
 देहरादून, दिनांक: 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यापाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन रु012000 तथा HAG+ व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीव्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु010000 तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन रु0 8900 में कार्यरत हों	वायुयान का इकोनॉमी क्लास अथवा रेल का ए.सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीव्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु0 5400,6600,7600,8700 व 8900 (शासन के अपर सचिव को छोड़कर)	रेल का ए.सी. टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600 व 4800	रेल का ए.सी. थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हों-ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी.बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डीलक्स/साधारण बस यात्रा हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों - रेल के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराये अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/उसकी प्रति/टिकट सदृश सलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय-

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा:

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरों प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+ व राष्त्र	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रूपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता-

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG +य उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित नगरों में रु0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों का होटल/अन्य संस्थान में ठहरने व स्थानीय यात्रा

हेतु निम्न दशों से प्रतिपूर्ति की जा सकती है:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड वेतन ₹0 8900,10000,12000 तथा HAG एवं उच्च	₹0 1000
ग्रेड वेतन ₹0 5400,6600,7600 व 8700	₹0 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल वाउचर सलमन किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति कही जा सकती है:-

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/कैम्प हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन ₹0 12,000 तथा HAG-व उच्च	होटल/गेस्ट हाउस के लिये ₹05000/- प्रति दिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 कि.मी तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्जज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0500/- प्रति दिन भोजन का बिल	₹0 700/-प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु ए.सी. टैक्सी के चार्जज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 10000 व 8900	होटल/गेस्ट हाउस के लिये ₹0 3000/-प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु गॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 300/-प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 600/- प्रतिदिन,नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु गॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गेस्ट हाउस के लिये ₹0 1500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 200 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 450 प्रतिदिन,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 4800 से ₹04200	होटल/गेस्ट हाउस के लिये ₹0 500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 150 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 350 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन ₹0 4200 से कम	होटल/गेस्ट हाउस के लिये ₹0 300 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम ₹0 100 प्रतिदिन भोजन का बिल	₹0 200 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु ₹0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति

निशुल्क आवास अथवा निशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत क घटाकर रखी जाएगी।

(4) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता:-

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम खण्ड-3 के नियम 23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमत्त है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता उपरिउल्लिखित कार्यालय प्राप दिनांक 11 जून 1999 द्वारा निर्धारित पूर्व दरों का डेढ़ गुना अनुमत्त होगा:-

(5) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें:-

(क) घरेलू सामान की ढुलाई:-

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम खण्ड-3 के नियम 42 (2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमत्त है। सरकारी सेवकों को उनका नये पुनर्निश्चित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जाएगी:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 7600,8700,8900,10000, 12000 तथा HAG+व उच्च	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक बैगन/एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600,4800,5400, 6600	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक बैगन/एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 2800	3000 किलोग्राम
ग्रेड वेतन रु0 2800 से कम	1500 किलोग्राम

स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश का एक बड़े भू-भाग में रेल सेवाएं उपलब्ध भी नहीं हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर से अनुमत्त होगा।

(ख) स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत वाहन की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 6600,7600,8700,8900, 10000,12000 तथा HAG+व उच्च	एक मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर
ग्रेड वेतन रु0 6600 से कम	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/साईकिल

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान:-


वर्तमान से अनुनय दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

(अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की दशा में पैकिंग भत्ता की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।

(ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की दशा में एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है; HAG-मन उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रूपया रु0 24000.00 रखी जाती है।

(6) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या इसके पश्चात् प्रारम्भ हुयी हो परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनरोदघाटित नहीं किया जाएगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुरंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथास्तमय किये जायेंगे।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,


समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

संख्या- 78(1)/XXVII (7)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, आकराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
- 4- सजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।


(आलोक कुमार जैन)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
विस्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या-100/xxvii(7)/2009
देहरादून:दिनांक:31 मार्च,2009

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा केतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार यात्रा मत्ता की दरों में संशोधन किया गया था उक्त शासनादेश के प्रस्तर--5(क) के द्वितीय पैरा में टंकण त्रुटि के कारण 30 पैसे प्रति कुंतल के बजाय 30 पैसे प्रति किलोग्राम टीकेत हो गया था अतः प्रस्तर--5(क) को निम्नानुसार पढ़ा जाय।

“स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की दुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में रेल सेवायें उपलब्ध भी नहीं हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की दुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति कुंतल की दर से अनुमन्य होगा।”

शासनादेश संख्या-78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें पथावत रहेंगी।

भवदीय

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

संख्या: (1)xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड आबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कर्माधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से.

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव।